रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2016/फाल्गुन 28, 1937

No. 177] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/ PHALGUNA 28, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सा.का.नि. 319(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अपर निदेशक (फोरेंसिक लेखापरीक्षा) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2011 तथा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय अपर निदेशक (जांच) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय में अपर निदेशक (न्यायालयिक संपरीक्षा) या संयुक्त निदेशक (न्यायालयिक संपरीक्षा) और अपर निदेशक (अन्वेषण) या संयुक्त निदेशक (अन्वेषण) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अपर निदेशक (न्यायालयिक संपरीक्षा) या संयुक्त निदेशक (न्यायालयिक संपरीक्षा) और अपर निदेशक (अन्वेषण) या संयुक्त निदेशक (अन्वेषण) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** – ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं, आदि.**- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अपर निदेशक (न्यायालयिक संपरीक्षा) या संयुक्त निदेशक (न्यायालयिक संपरीक्षा)	02* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	(i) अपर निदेशक (न्यायालयिक संपरीक्षा) के पद के लिए वेतन बैंड-4, 37400-67000 रुपए + ग्रेड वेतन 8700 रुपए/ (ii) संयुक्त निदेशक (न्यायालयिक संपरीक्षा) के पद के लिए वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रीक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी: **(क) अपर निदेशक (न्यायालयिक संपरीक्षा) के पद के लिए** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और **(ख) संयुक्त निदेशक (न्यायालयिक संपरीक्षा) के पद के लिए** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और

	जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं: **आवश्यक:** (i) चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार या व्यवसाय प्रशासन (वित्त) में मास्टर या प्रबंध (वित्त) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या व्यवसाय अर्थशास्त्र में मास्टर या वाणिज्य में मास्टर; और (ii) न्यायालयिक संपरीक्षा या वाणिज्यिक लेखापरीक्षा या आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग या लेखा और लेखापरीक्षा अन्वेषण में दस वर्ष {अवर निदेशक (न्यायालयिक संपरीक्षा) के पद के लिए} या आठ वर्ष {संयुक्त निदेशक (न्यायालयिक संपरीक्षा) के पद के लिए} का अनुभव। **वांछनीय अर्हता:** (i) साक्ष्य संग्रहण या कथन अभिलेखन या एकत्रण, मिलाने और अभियोजन कार्रवाई में प्रयोग होने वाले सर्वोत्तम साक्ष्य की प्रस्तुति के माध्यम और तकनीकों से परिचित होना चाहिए। **टिप्पण 1** – प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले-धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी (जिसे दो वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है)। **टिप्पण 2** - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** - प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	किसी अधिकारी का प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. अपर निदेशक (अन्वेषण) या संयुक्त निदेशक (अन्वेषण)	08* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	(i) अपर निदेशक (अन्वेषण) के पद के लिए वेतन बैंड-4, 37400-67000 रुपए + ग्रेड वेतन 8700 रुपए/ (ii) संयुक्त निदेशक (अन्वेषण) के पद के लिए वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी: **(क) अपर निदेशक (अन्वेषण) के पद के लिए** (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और **(ख) संयुक्त निदेशक (अन्वेषण) के पद के लिए** (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं: **आवश्यक:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; और (ii) आर्थिक विधि के प्रवर्तन, अपराधों और उसके आसूचना के संग्रहण के क्षेत्र में बारह वर्ष (अपर निदेशक (अन्वेषण) के पद के लिए) या दस वर्ष (संयुक्त निदेशक (अन्वेषण) के पद के लिए) का अनुभव। **वांछनीय:** (i) विधि या वाणिज्य या अर्थशास्त्र में डिग्री; (ii) साक्ष्य संग्रहण या कथन अभिलेखन या एकत्रण, मिलाने और अभियोजन कार्रवाई में प्रयोग होने वाले सर्वोत्तम साक्ष्य की प्रस्तुति के माध्यम और तकनीकों से परिचित होना चाहिए। **टिप्पण 1** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी (जिसे दो वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है)। **टिप्पण 2** - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** - प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होता	किसी अधिकारी का प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए.35011/29/2012-प्रशा.III]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March 2016

G.S.R. 319(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, Additional Director (Forensic Audit) (Group 'A' Post) Recruitment Rules 2011 and the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, Additional Director (Investigation) (Group 'A' Post) Recruitment Rules,2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of the Additional Director (Forensic Audit) or Joint Director (Forensic Audit) and Additional Director (Investigation) or Joint Director (Investigation) in the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, namely:-

1. **Short title and commencement.** --- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Additional Director (Forensic Audit) or Joint Director (Forensic Audit) and Additional Director (Investigation) or Joint Director (Investigation) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2016.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**----These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**--- The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.**--- The method of recruitment, age - limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the afore said Schedule.

5. **Disqualifications.**--- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** .----Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** .---- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Additional Director (Forensic Audit) or Joint Director (Forensic Audit)	02* (2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-'A' Gazetted, Non-Ministerial	(i)Pay band-4, Rs.37400-67000 plus grade pay of Rs.8700 for the post of Additional Director (Forensic Audit)/ (ii)Pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.7600 for the post of Joint Director (Forensic Audit).	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(10)	(11)
By Deputation including short-term contract.	Deputation (including short-term contract) : Officers of Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Central or State Public Sector Undertakings or semi- Government or Autonomous Organisations: **A. For the post of Additional Director (Forensic Audit):** (A) (I) holding analogous post in the parent cadre or department on regular basis ; or (II) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs.7600 in the parent cadre or department . **B. For the post of Joint Director (Forensic Audit):** (A) (I) holding analogous post in the parent cadre or department on regular basis ; or (II) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.6600 in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualification and experience:- **Essential:** (I) Chartered Accountants or Cost Accountants or Master in Business Administration (Finance) or Post Graduate Diploma in Management (Finance) or Master in Business Economics or Master in Commerce; and (II) ten years {for the post of Additional Director (Forensic Audit)} or eight years {for the post of Joint Director (Forensic Audit)} experience in the field of forensic auditing or commercial audit or internal audit division or investigation of accounts

	and auditing. **Desirable:** (I) Should be conversant with tools and techniques of collection of evidence or recording of statement or collection, collation and presentation of best evidence to be used in prosecution proceedings. **Note 1 :** Period of deputation(including short-term contract) including period of Deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years (extendable up to seven years). **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 3:** For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where these has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Additional Director (Investigation) or Joint Director (Investigation).	08* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-'A' Gazetted, Non-Ministerial.	(i)Pay band-4, Rs.37400-67000 plus grade pay of Rs.8700 for the post of Additional Director (Investigation) / (ii) Pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs.7600 for the post of Joint Director (Investigation)	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
By Deputation, including short-term contract.	By Deputation(including short-term contract) : Officers of Central Government or State Government or Union Territory Administrations or Central or State Public Sector Undertakings or semi-Government or autonomous Organisations: **A. For the post of Additional Director (Investigation):** (A) (I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (II) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs.7600 in the parent cadre or department.

		B. For the post of Joint Director (Investigation) : (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-3,Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.6600 in the parent cadre or department. (B) possessing the following educational qualification and experience: **Essential:** (A) (I) Bachelor's Degree from a recognised University; and (II) twelve years {for the post of Additional Director (Investigation)} or ten years {for the post of Joint Director (Investigation)} in the field of enforcement of economic laws offences and collection of intelligence thereto. **Desirable:** (I) Degree in Law or Commerce or Economics: (ii) Should be conversant with tools and techniques of collection of evidence or recording of statement or collection, collation and presentation of best evidence to be used in prosecution proceedings. **Note 1:** Period of deputation (including short-term contract) including period of Deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years (extendable up to seven years). **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 3:** For the purposes of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where these has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

[F. No. A.35011/29/2012-Adm.III]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.